

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या 238
16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत उपलब्धियां

238 श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री मनोज तिवारी:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आधार-सत्यापित ई-वाउचरों के माध्यम से प्रोत्साहनों का त्वरित और भ्रष्टाचार मुक्त संवितरण सुनिश्चित करने के लिए भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना (फेम-11) से 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' में परिवर्तन को दर्शाने वाले प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) कौन-कौन से हैं;

(ख) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को किस प्रकार आकर्षित कर रही है;

(ग) विशेषकर राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के पीएम ई-ड्राइव प्रावधान के अंतर्गत चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के आंकड़े को पार करने के बाद सरकार की इन वाहनों की बिक्री में वृद्धि को बनाए रखने के लिए ओईएम, एमएसएमई और चार्जिंग-इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों को सहायता देने सहित क्या रणनीति है;

(ङ) हिमाचल प्रदेश में अनुमोदित स्थलों, प्रचालनात्मक चार्जर, विभागीय समन्वय और पूर्ण रूप से शुरू करने की समय-सीमा सहित पीएम ई-ड्राइव और संबंधित ईवी-चार्जिंग पहलों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) क्या सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता और नागरिकों के लिए वहनीय चार्जिंग पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव किया है?

उत्तर
भारी उद्योग मंत्री
(श्री एच. डी. कुमारस्वामी)

(क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत उपलब्धियों” के संबंध में श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बरैया एवं श्री मनोज तिवारी द्वारा दिनांक 16.12.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 238 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : फेम-II तथा पीएम ई-ड्राइव स्कीम के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक, समर्थित इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या है। वर्ष 2019 से 2024 तक क्रियान्वित फेम-II स्कीम के अंतर्गत कुल 16,71,606 ईवी की बिक्री हुई। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 10.12.2025 तक 20,75,771 ईवी समर्थित किए गए हैं। इससे देश में ईवी के अंगीकरण में स्पष्ट वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी ई-दुपहिया और ई-तिपहिया की बिक्री आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से फेस मोडालिटी का उपयोग करके की जाती है।

(ख) : 15 मार्च 2024 को अधिसूचित, एसपीएमईसीआई स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत आवेदक कंपनियां उनके द्वारा विनिर्मित ई-चौपहिया के अधिकतम 8,000 पूर्णतः निर्मित इकाइयों (सीबीयू) का प्रतिवर्ष 15% की रियायती सीमा शुल्क दर पर आयात कर सकती हैं, बशर्ते वाहन की न्यूनतम लागत, बीमा और भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो। इस शुल्क रियायत का लाभ लेने के लिए आवेदकों को न्यूनतम ₹4,150 करोड़ के निवेश के साथ ई-चौपहिया विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करनी होंगी।

(ग) : मंत्रालय ने 26.09.2025 को सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, सीपीएसई और केंद्र सरकार के मंत्रालय इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं। देशभर में चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बीएचईएल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) नियुक्त किया गया है।

(घ) : भारी उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से मूल उपकरण विनिर्माताओं, ईवी बिक्री तथा चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन कर रहा है:

1. **पीएम ई-ड्राइव स्कीम** – ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ, जो ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन तथा चार्जिंग अवसंरचना सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देती है।
2. **ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक उद्योग हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम** – ₹25,938 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ, जो देश में विनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों एवं उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों की बिक्री को प्रोत्साहित करती है।
3. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-एसीसी) स्कीम** – ₹18,100 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ, जिसका उद्देश्य 50 GWh की एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करना है।

4. **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम** – ₹3,435.33 करोड़ के परिव्यय के साथ, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा चूक की स्थिति में ई-बस प्रचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान कर 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है।

(ड) : पीएम ई-ड्राइव एक अखिल भारतीय स्कीम है और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में लागू है। 01.04.2024 से 11.12.2025 तक हिमाचल प्रदेश में (पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत बेचे गए वाहनों सहित) कुल 2,313 इलेक्ट्रिक- दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 26.09.2025 को पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ईवी पीसीएस की स्थापना के लिए स्कीम की अवधि 31 मार्च 2028 तक है।

(च) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 24.08.2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं, ताकि अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। ये नियम लिथियम-आयन बैटरियों सहित सभी प्रकार की बैटरियों को कवर करते हैं।

खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन स्कीम अधिसूचित की है। यह स्कीम **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन** का एक प्रमुख घटक है और इसका उद्देश्य द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण एवं उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना है। योग्य फीडस्टॉक स्रोतों में ई-कचरा, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियां (एलआईबी) तथा अन्य स्कैप सामग्री शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को “इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा-निर्देश-2024” जारी किए हैं, जो नागरिकों को चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
